

उत्तर प्रदेश सरकार
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1,

संख्या 18/2016/792(1)/64-1-2016-52/2016
लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (संशोधन) अधिनियम, 2002(उ०प्र० अधिनियम संख्या 4 सन् 1994) की अनुसूची-एक में किये गये संशोधन से सम्बन्धित अधिसूचना संख्या-792/64-1-2016-52/2016, दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उ०प्र० शासन।
- 2-समस्त विभागाध्यक्ष/कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
- 3-समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 4-प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उ०प्र०।
- 5-राज्य के समस्त उपक्रमों/निगमों के अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक/कार्यकारी अधिकारी, उ०प्र०।
- 6-प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों (केन्द्रीय विद्यालयों को छोड़कर) के निबन्धक।
- 7-निबन्धक, उ०प्र० सहकारी समितियाँ, लखनऊ।
- 8-समस्त महाप्रबन्धक, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश।
- 9-समस्त विकास प्राधिकरणों के अध्यक्ष/उपाध्यक्ष/सचिव, उत्तर प्रदेश।
- 10-निदेशक, स्थानीय निकाय, उत्तर प्रदेश।

- 11-निदेशक, उच्च शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/बेसिक शिक्षा/प्रौढ़ शिक्षा, उत्तर प्रदेश।
 - 12-समस्त अध्यक्ष, जिला परिषद/नगर निगम/नगर पालिका/टाउन एरिया, उ०प्र०।
 - 13-निबंधक, हाईकोर्ट, इलाहाबाद/लखनऊ बेंच, लखनऊ।
 - 14-निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन, उत्तर प्रदेश।
 - 15-सचिव विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
 - 16-सचिव, लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
 - 17-सचिव, राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, उ०प्र०, लखनऊ।
 - 18-निदेशक, उ०प्र० प्रशासनिक अकादमी, नैनीताल।
 - 19-समस्त निजी सचिव, मा०मंत्रीगण, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 20-प्रमुख सचिव, मा०मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
 - 21-सचिवालय के समस्त अनुभाग।
- संलग्नक-यथोपरि

आज्ञा से,

(अजय दीप सिंह)
विशेष सचिव।

उत्तर प्रदेश शासन
पिछड़ा वर्ग कल्याण अनुभाग-1
संख्या- 792/64-1-2016
लखनऊ: दिनांक 26 दिसम्बर, 2016

अधिसूचना

उत्तर प्रदेश लोक सेवा (अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण) अधिनियम 1994 (उ०प्र० अधिनियम संख्या-4 सन्-1994) की धारा 13 के अधीन शक्ति का प्रयोग करके राज्यपाल उपरोक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं:-

संशोधन

उक्त अधिनियम की अनुसूची-1 में

- 1- क्रमांक-11 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"11- काछी, काछी-कुशवाहा, शाक्य, कोइरी, सैनी, मुराव व मुराई, मौर्य।"
- 2- क्रमांक-13 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"13- केवट, मल्लाह, निषाद, बिन्द।"
- 3- क्रमांक-15 रिक्त।
- 4- क्रमांक-35 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"35-लोहार, लोहार-सैफी, बढ़ई-सैफी, विश्वकर्मा, पांचाल, रमगढ़िया, जांगिड, धीमान।"
- 5- क्रमांक-38 रिक्त।
- 6- क्रमांक-43 निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-
"43-माली"
- 7- क्रमांक-45 रिक्त।
- 8- क्रमांक-75 रिक्त।

आज्ञा से,

(महेश कुमार गुप्ता)
प्रमुख सचिव

**Government of Uttar Pradesh,
Backward Class Welfare, Section-1**

In pursuance of the provisions of clause(3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 792/64-1-2016, dated 26 December, 2016

Notification

**No-. 792/64-1-2016-
dated- 26 December, 2016**

In exercise of powers under section-13 of the Uttar Pradesh Public Services (Reservation for Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other Backward Classes) Act, 1994 (U.P. Act no. 4 of 1994), the Governor is pleased to make the following amendment in Schedule-1 to the said Act:-

Amendment

In the said Schedule-1,-

- (a) for serial 11 the following serial shall be substituted namely:-
"11-Kachhi, Kachhi-Kushwaha, Shakya, Koiri, Saini, Muraao, Murai, Morya."
- (b) for serial 13 the following serial shall be substituted namely:-
"13-Kewat, Mallah, Nishad, Bind."
- (c) the entry at serial 15 shall be omitted;
- (d) for serial 35 the following serial shall be substituted namely:-
"35-Lohar,Lohar-Saifi,Badai,Badai-Saifi,Vishwakarma, Panchal, Ramgariya, Jangir, Dheeman."
- (e) the entry at serial 38 shall be omitted;
- (f) for serial 43 the following serial shall be substituted, namely:-
"43-Mali."
- (g) the entries at serial 45 shall be omitted;
- (h) the entries at serial 75 shall be omitted.

By order,

**(Mahesh Kumar Gupta)
Principle Secretary**